::अनुज्ञप्ति / कोटेशन::

जिला कार्यालय, कैम्प कार्यालय, राजस्व अभिलेखागार एवं आग्ल अभिलेखागार नई टिहरी के भवनों में सुरक्षा के दृष्टिगत अग्निशमन यन्त्रों की रिफिलिग की जानी है। उक्त कार्यालय में रिफिलिंग कार्य हेतु अधिकृत इच्छुक फर्मो से दिनांक 15.2.2021 को अपरान्हः 3.00 बजे तक कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं सम्बन्धित फर्म अपना कोटे2ान बन्द लिफाफे में डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर नजारत अधिष्ठान जिला कार्यालय टिहरी गढवाल नई टिहरी में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि तथा निर्धारित समय के पश्चात प्रस्तुत कोटेशन स्वीकार नही किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कोटेशन प्रकिया में सम्बन्धित फर्मो के लाईसेंस (अग्निशमन यंत्रों के रिफिलिंग सम्बन्धी) की प्रमाणित छाया प्रति भी उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी व **अग्निशमन विभाग द्वारा जो नये मापदण्ड निर्धारित किये गये है उसके अनुरूप ही रिफलिंग कार्य किया जाना स्वीकार किया जायेगा।**

प्राप्त कोटेशनों को प्रभारी अधिकारी नजारत के द्वारा उक्त तिथि को अपरान्हः 4. 00 बजे खोले जायेंगे व प्राप्त कोटेशनों का तुलनात्मक चार्ट तैयार कर न्यूनतम कोटेशनदाता को कोटेशन स्वीकृत होनें पर ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा । कार्य आदेश के पश्चात कार्य संतोषजनक होनें व इस मद में बजट प्राप्त होनें पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। कोटेशन स्वीकृत / अस्वीकृत करनें का अधिकार जिलाधिकारी महोदय का होगा ।

दिनांक 02.2.2021

ह0 / –
(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी,
टिहरी–गढ़वाल।

कार्यालय–जिलाधिकारी, टिहरी–गढ़वाल।

संख्या– 193 / 9–63 (2001-02) दिनांक, नई टिहरी, फरवरी 03, 2021

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त उप जिलाधिकारी / तहसीलदार / नायब तहसीलदार टिहरी गढवाल।
2– नोटिस बोर्ड जिला कार्यालय।
3. नोटिस बोर्ड जिला सूचना अधिकारी कार्यालय नई टिहरी।
4. समस्त कार्यालयाध्यक्ष नोटिस बोर्ड जिला कार्यालय।
5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी टिहरी गढवाल,नई टिहरी को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को एनआईसी की ब्यावसायिड पर अपलोड करनें का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,
टिहरी–गढ़वाल।